



कायलिय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपायुक्त्याय भवन, लालकोठी, टॉक रोड जयपुर-15)

क्रमांक : एफ-13 () उपा.आयो-II/ननिज/2024/ 993


दिनांक 12/11/24

सार्वजनिक सूचना

"न्यायालय पंच निर्णायक एवं सहारजिस्ट्रार (सहकारिता) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के निर्णय दिनांक 31.01.2006 के द्वारा भूखण्ड संख्या 45, मेजर बने सिंह कॉलोनी (संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर का क्षेत्रफल 186.66 वर्गगज का पट्टा क्रमांक 709 दिनांक 21.09.2005 को शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया गया है। उक्त निर्णय की पालना में श्री मगन सिंह पुत्र श्री शहतान सिंह, निवासी : माउण्डा ग्राम, नीम का थाना, जिला-सीकर के पक्ष में जारी पट्टे को नगर निगम ग्रेटर जयपुर के आदेश एफ-13 () उपा. आयो-II/ननिज/2024/985 दिनांक 11.01.2024 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।


अतः उक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारी को पट्टा निरस्तीकरण बाबत नोटिस क्रमांक 990... दिनांक 12/11/24 प्रेषित किया गया है जिसके क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड का किसी प्रकार का खरीद/बेचान नहीं करें। निगम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

उपरोक्त सार्वजनिक विज्ञापित के सम्बन्ध में विस्तृत अवलोकन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की वेबसाइट www.jaipurmc.org पर किया जा सकता है।


उपायुक्त (आयोजना द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ

1. जन सम्पर्क अधिकारी, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना प्रमुख दो राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका) (Most circulated) में प्रकाशित करवाकर समाचार-पत्र की प्रति अधोहरताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करने का श्रम करें।
2. ओसवाल डाटा को भेजकर लेख है कि उक्त को नगर निगम ग्रेटर जयपुर की वेबसाइट पर अपलोड करें।


उपायुक्त (आयोजना द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर